मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक--10.02.2016 को अपराह्न 4.30 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C. /L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

1. बैठक में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार भी सम्मिलित हुए। मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा बैठक की कार्यवाही के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता को अवगत कराया गया। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार के विरुद्ध दायर किसी मामले में सरकारी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न विभागों को भेजे गये पत्र अस्पष्ट होते हैं तथा उससे मामलों की वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती है। साथ ही, अधिवक्ताओं के द्वारा जो प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाता है उनमें प्राय: गलती होती है। एक ही मामले के लिए किसी-किसी विभाग को अनेक अधिवक्ताओं से संपर्क करना पड़ता है, जिससे सरकार का पक्ष स्पष्ट रूप से रख पाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। Arbitration के मामलों में एवं उच्चतम न्यायालय में दायर मामलों में से अधिकांश मामलों में राज्य सरकार के विरुद्ध आदेश प्रस्तुत होता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा विद्वान महधिवक्ता महोदय से अनुरोध किया गया।

2. इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा बताया गया कि Arbitration/ Contract के मामलों में विभाग/राज्य सरकार को तुरंत अपील दायर करना चाहिए, लेकिन आदेश पारित होने के उपरांत संबंधित विभाग ससमय अपील दायर नहीं करते हैं जिससे न्यायालय के आदेश की अवमानना हो जाती है। अत: विभागों के नोडल पदाधिकारियों को चाहिए कि संबंधित अधिवक्ता से संपर्क कर आदेश पारित होने के दो दिन के अंदर मामले की समीक्षा कर ली जाए। उक्त न्यायादेश की कॉपी वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाता है। अतएव संबंधित विभाग महाधिवक्ता कार्यालय से पत्र/आदेश प्राप्ति के उपरांत दो दिनों के अंदर महाधिवक्ता, बिहार से संपर्क करें एवं विभागीय स्तर पर तथ्य विवरणी भेजने से पूर्व सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा इसकी जांच किया जाना चाहिए।

3. बैठक में इस बात पर चर्चा किया गया कि किसी मामले में तथ्य विवरणी संबंधित अधिवक्ता को दिए जाने के बावजूद महीनों बाद भी शपथ पत्र तैयार नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में जिस अधिवक्ता द्वारा विलंब किया जाता है, उसके संबंध में तत्काल विद्वान महाधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से सूचना दिया जाना चाहिए।

4. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विद्वान महाधिवक्ता से यह अनुरोध किया गया कि सभी विभागों के लिए मुकदमों की संख्या को देखते हुए सरकारी अधिवक्ता का पैनल गठित किया जाय ताकि संबंधित विभाग को एक ही प्रकार के मामले में अलग अलग अधिवक्ताओं से संपर्क न करना पड़े। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथ्य विवरणी को सर्वप्रथम अवलोकन हेतु संबंधित सरकारी अधिवक्ता को भेजेंगे एवं उनके द्वारा तथ्य विवरणी अनुमोदित किए जाने के पश्चात् ही शपथ पत्र जिला स्तर पर दाखिल किया जाना चाहिए।

5. बैठक में इस बात पर चर्चा किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किसी विभाग के विरुद्ध जो भी निर्णय पारित किया जाता है उसकी सूचना संबंधित अधिवक्ता के द्वारा अविलंब संबंधित विभाग को दिया जाय। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किसी मामले में विभाग के विरुद्ध निर्णय पारित किया जाता है तो सरकारी अधिवक्ता इस टिप्पणी के साथ कि उस आदेश के विरुद्ध LPA दायर किया जाय अथवा नहीं, की सूचना (पत्र के माध्यम से) अविलंब संबंधित विभाग को दें तथा संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव उस टिप्पणी से संतुष्ट हैं तो LPA दायर करने के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से आग्रह कर सकते हैं। इस संबंध में विधि सचिव के माध्यम से आवश्यक अधिसूचना निर्गत करने का निर्देश बैठक में दिया गया।

6. बैठक में बिहार राज्य मुकदमा नीति के संबंध में चर्चा करते हुए मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर होने वाले मामलों में सर्वाधिक संख्या सरकारी सेवकों के सेवांत लाभ से संबंधित होती है। इस संबंध में सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक माह वैसे

प्राप्त आवेदनों पर विचार कर निष्पादित करने का प्रयास करें तथा इसकी सूचना प्रत्येक माह विधि विभाग को समर्पित करें ताकि मासिक बैठक में इसकी समीक्षा की जा सके। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक सेवा संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया।

7. प्राय: यह देखा जाता है कि मुख्य सचिव एवं विधि सचिव को सभी मामलों में प्रतिवादी बना दिया जाताहै। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव एवं विधि सचिव अगर औपचारिक प्रतिवादी है तो उनके द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दायर करना आवश्यक नहीं है। अतएव उक्त मामलों में जिनमें मुख्य सचिव, बिहार एवं विधि सचिव को अनौपचारिक प्रतिवादी बनाया गया है, संबंधित विभाग को ही उक्त मामलों में प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाना चाहिए।

8. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा लंबित CWJC एवं MJC के मामलों में संतोषजन प्रदर्शन करने वाले विभागों पर चर्चा किया गया। CWJC के मामलों में **समाज कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं सहकारिता विभाग** शामिल है। इसी प्रकार MJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ पत्र दायर करने में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में **समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं सहकारिता विभाग** शामिल हैं।

9. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा लंबित CWJC एवं MJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों पर चर्चा किया गया। CWJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, **ग्रामीण विकास विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग** शामिल है। इसी प्रकार MJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में **स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग एवं कृषि विभाग** शामिल हैं।

10. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा वैसे विभाग जहाँ CWJC/MJC के सर्वाधिक मामले लंबित है पर चर्चा किया गया। CWJC के मामले में **शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं पंचायती राज विभाग** शामिल हैं। इसी प्रकार MJC के मामले में **स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** शामिल हैं।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0 109/2013/....1151....जे0 पटना, दिनांक 23-02-16

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.2.16
(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक याचिका-ए0-109/2013/....1151....जे0 पटना, दिनांक 23.02.16

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.2.16
(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।